24

III/अपील/सीहोर/भू.रा./2017/6383

न्यायालय माननीय म.प्र.राजस्व मंडल महोदय, ग्वालियर म0प्र0

प्रकरण कमांकः— /2017 द्वितीय अपील / **जिला सीहोर**

1. बाबूलाल आ0 बटटूलाल
2. कम्मूबाई पत्नी श्री बट्टूलाल

दोनो निवासी एवं कृषक—ग्राम हसनाबाद
तहसील सीहोर जिला सीहोर म.प्र.

........अपीलार्थी

बनाम

म.प्र. शासन ....प्रत्यार्थी

द्वितीय अपील अर्न्तगत धारा 44(2) म.प्र. भू राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 30.11.2017 जोकि प्रकरण कमांक 594 / अपील / 2015—16 बउनमान बाबूलाल बनाम म.प्र.शासन मे अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल संभाग, द्वारा पारित किया गया, जिसके अन्तर्गत अधीनस्थ अपर कलेक्टर सीहोर जिला के प्रकरण कमांक 5 / स्व.निग. / 15—16 द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2016 को यथावत रखा गया।

माननीय महोदय,

अपीलार्थीगण की ओर से द्वितीय अपील निम्नलिखित प्रस्तुत हैः—

<u>अपील के संक्षिप्त तथ्यः—</u>

1. यहकि अपीलार्थीगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी सीहोर के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उनके ग्राम हसनाबाद तहसील सीहोर मे स्थित भूमि खसरा कमांक 1 / 1 का पट्टा शासन द्वारा वर्ष 2002 मे प्राप्त हुआ था।
2. यहकि उक्त भूमि का अहस्तांतरणीय प्रविष्टि अंकित है तथा अपीलार्थी उक्त भूमि को विकय करना चाहते है इसलिये म.प्र. राजपत्र दिनांक 21.08.2015 के अध्यादेश द्वारा म.प्र. भू—राजस्व संहिता की धारा 165(7—ख) मे हुये संशोधन अनुसार भूमि के बाजार मूल्य के दस प्रतिशत राशि जमा कराकर अहस्तांतरणीय प्रविष्टि हटाने का अनुरोध किया गया।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक दो/अपील/सीहोर/भूरा/2017/6383 **बाबूलाल/म0प्र0 शासन**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-4-18	आवेदक अभिभाषक श्री लक्ष्येन्द्र झा एवं अनावेदक शासकीय अभिभाषक श्री अजय चतुर्वेदी के प्रकरण की ग्राह्यता पर तर्क सुने गये। 2– यह अपील मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 44 (2) के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल द्वारा प्रकरण क. 594/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 30.11.17 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3– प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने अनुविभागीय अधिकारी सीहोर के समक्ष ग्राम हसनाबाद स्थित ख0कमांक 1/1 रकबा 1.459 हे0 एवं ख0क0 59/1/1/4 रकबा 0.541 हे0 कुल रकबा 2.000 हे0 भूमि का शासन द्वारा प्रदत्त पट्टे पर अंकित अहस्तांतरणीय प्रविष्टि अंकित है। मध्यप्रदेश शासन राजपत्र दिनांक 21.08.2015 के अध्यादेश द्वारा संहिता की धारा 165 (7–ख) में हुये संशोधन अनुसार भूमि का बाजार मूल्य के 10 प्रतिशत राशि जमा कर अहस्तांतरणीय प्रविष्टि हटाने का अनुरोध किया गया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 25.01.16 को भूमि के बाजार मूल्य की 10 प्रतिशत राशि रू. 7,40,000/– जमा कर अहस्तांतरण प्रविष्टि विलोपित करने का आदेश पारित किया गया। अपर कलेक्टर सीहोर द्वारा प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लेकर अपने आलोच्य आदेश दिनांक 04.06.16 के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर होने से निरस्त किया गया। अपर कलेक्टर के इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थीगण द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग के	

न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा भी अपने आदेश दिनांक 30.11.17 के द्वारा अपर कलेक्टर सीहोर द्वारा पारित आदेश को उचित माना है। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

4— अपीलार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में बताया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना आदेश पारित किया गया है तथा शासन द्वारा जारी अध्यादेश दिनांक 21.08.15 के द्वारा म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 165 (7–ख) में हुये संशोधन अनुसार ही भूमि के बाजारू मूल्य के 10 प्रतिशत राशि जमा कर अहस्तांतरणीय प्रविष्टि हटाये जाने का अनुरोध किया था जो कि अनुविभागीय अधिकारी महोदय द्वारा स्वीकार कर आदेश पारित किया गया है।

5— अपीलार्थी के अधिवक्ता के तर्क सुने गये तथा निगरानी मेमो एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तर्कों को दोहराया गया जो उनके द्वारा अपील मेमो में उठाये गये हैं। ग्राम हसनाबाद स्थित शासकीय भूमि का पट्टा अपीलार्थीगण को दिया गया। मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 21.08.15 (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश 2015 द्वारा संहिता की धारा 165 (7–ख) में संशोधित करते हुये यह धारा स्थापित की है कि इस धारा के अन्य उपबंधो के अध्यधीन रहते हुये यदि कोई व्यक्ति जो धारा 158 की उपधारा (3) के अधीन भूमि स्वामी अधिकारों में भूमि धारण करता हो, आवंटन की तारीख से दस वर्ष पश्चात् ऐसी भूमि को अंतरित करने की वांछा करता है तो उपखण्ड

अधिकारी को वह अभिलेख तथा भू–अधिकार ऋण पुस्तिका में ''अहस्तांतरणीय'' के रूप में अभिलिखित प्रविष्टि को हटाने के लिये आवेदन कर सकेगा और उपखण्ड अधिकारी आवेदक को ऐसी भूमि के वर्तमान बाजार मूल्य के 10 प्रतिशत राशि शासकीय खजाने में जमा करने का निर्देश देगा। ऐसा भुगतान कर दिये जाने के पश्चात् उपखण्ड अधिकारी ऐसी प्रविष्टि को हटाने के लिये आदेश पारित करेगा। उक्त जारी अध्यादेश म0प्र0 राजपत्र क. 530 दिनांक 31–12–15 की कण्डिका 6 के द्वारा निरसित किया जा चुका है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रश्नाधीन पट्टे की भूमि के खसरे में अंकित ''अहस्तांतरणीय'' प्रविष्टि को विलोपित करने का आदेश 25.01.16 को पारित किया गया है। इससे स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश क्षेत्राधिकार के बाहर है, जिसे अपर कलेक्टर द्वारा स्वप्रेरणा में लेकर निरस्त करने में कोई विधिक भूल नहीं की है। अपर आयुक्त द्वारा भी कलेक्टर के आदेश को यथावत रखा गया है, जो उचित है।

6– अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील बलहीन एवं सारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर पर ही अग्राह्य की जाती है तथा अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.11.17 उचित होने से यथावत रखा जाता है।

सदस्य